न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर शिविर, भोपाल

R-1008-PBR-17

(9)

प्र0क्र0–निगरानी /17 राजगढ़

(1) **कल्लू बेग** पुत्र स्व0श्री नियामत बेग
(2) **यूसुफ बेग** पुत्र स्व0श्री नियामत बेग
(3) **रईस बेग** पुत्र स्व0श्री नियामत बेग
(4) **जहूर बेग** पुत्र स्व0श्री नियामत बेग
निवासीगण–ग्राम तुर्कीपुरा (सींका), तह0–पचौर, जिला–राजगढ़ (म0प्र0) ----**निगरानीकर्तागण**

विरूद्ध

(1) **किस्मत खाँ** पुत्र श्री सईद खाँ
निवासीगण–ग्राम तुर्कीपुरा (सींका), तह0–पचौर, जिला–राजगढ़ (म0प्र0)
(2) **मध्यप्रदेश शासन** ---- **प्रत्यर्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959

महोदय,

विद्वान राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त–2 तलेन द्वारा प्र0क्र0–5/अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनाँक 09.02.2017 सीमांकन दिनांक 04.02.2017 प्रभारी राजस्व निरीक्षक द्वारा उन्होंने विधि विरुद्ध कागजी सीमांकन की कार्यवाही की जाकर खानापूर्ति करते हुये प्रतिवेदन दिनांक 05.02.2017 को पंचनामा सूचना पत्र सहित श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त–2 तलेन तहसील पचोर को प्रेषित किया, से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1008–पीबीआर/2017 जिला राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.4.2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । राजस्व निरीक्षक के द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–2–17 की सत्यप्रतिलिपि एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । सीमांकन पंचनामें से आवेदकगण का सीमांकन कार्यवाही से प्रभावित होना प्रथमदृष्टया परिलक्षित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी पर विचार किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिपेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	